



ਰਾਜ ਵਿਦਿਅਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਵਟ, ਪੰਜਾਬ

ਸੀ ਐਸ ਈ ਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਰਜ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਮੰਜੂਰੀ, ਸਿੱਖਾਈ,
ਈ ਮੇਸ: education@punjabeducation.gov.in (ਪਰ ਸ) ਫੋਨ ਨੰਬਰ 512-225777

9024/45631

ਦੀ-1

ਵੱਲ

ਸਮੂਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਕਸਰ(ਸੀ.ਸੀ.)

ਪੰਜਾਬ

ਮੀਮੀ ਨੰ. B File no. 786977/SCERT-Examination/2024/12.20

ਮਿਤੀ: 13-11-2024 ਐਸ. ਐਸ. ਨਗਰ

ਸਮੂਹ

ਤਿਥੀ: Minutes of the 7th Apex Committee Meeting of Harco-Coordination Centre (HCOORD)-Reg.

ਚੁਣਾਵ: Government of India, Ministry of Education, Department of School Education and Literacy, New Delhi ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: F.No.6-36/2023-SS ਮਿਤੀ 18-10-2023 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

- 1.0 ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਘੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- 2.0 ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰਕੇ scertactivities@punjabeducation.gov.in ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: ਉਕਤ

ਮਿਤੀ: 13-11-2024

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਸਬੰਧਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:-

1. ਪੀ.ਏ.ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ, ਪੰਜਾਬ।

ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ, ਪੰਜਾਬ।

ਦਫਤਰ ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈ.ਸਿ) ਬਠਿੰਡਾ

ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: ਜੀ-1/1 () 2024/ 2023

ਮਿਤੀ: 29.11.24

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੇਜਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੁਗਲ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 29.11.24 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗੁਗਲ ਸ਼ੀਟ ਲਿੰਕ

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BUu364Qg3riZvvPWGAw5IBjcNhU2NSKqHDXQHpxSuAg/edit?usp=sharing>

ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈ.ਸਿ)

ਬਠਿੰਡਾ

29.11.24



2/10/24

10/10/24

Email sent to
@westerscrt

DGSE Punjab <dgse@punjabeducation.gov.in>

Director SCERT

Subject: Minutes of the 7th Apex Committee Meeting of Narco - Coordination Center (NCORD) - reg.

2 messages

Kamal Kishor Yadav, IAS <psse@punjab.gov.in>
To: DGSE <dgse@punjabeducation.gov.in>A2 (active)
22/10/24

Fri, Oct 18, 2024 4:10 PM

22/10/24

From: scholarship-section@gov.in

To: "secy se edn" <secy.se.edn@gmail.com>, pretomsaikia@yahoo.com, "secy-edn-bih" <secy-edn-bih@nic.in>, "ps edu cg" <ps.edu.cg@gmail.com>, secedu-pri@gujarat.gov.in, hrdjharkhand@gmail.com, prsprim-edu@karnataka.gov.in, "Rani George IAS" <secy.gedu@kerala.gov.in>, "Acs schedu" <Acs.schedu@maharashtra.gov.in>, secysme@gmail.com, "Kamal Kishor Yadav, IAS" <psse@punjab.gov.in>, "secy se" <secy.se@telangana.gov.in>, "saumya edn tr" <saumya.edn.tr@gmail.com>, "addl csbasic" <addl.csbasic@gmail.com>, rmsundaramias@gmail.com, secyiptac2019@gmail.com, secretaryeducationap@gmail.com, secretaryeducationut@gmail.com, "Ashok Kumar" <secyedu@nic.in>, secretaryeducationgoa@gmail.com, acssehry@gmail.com, "Rakesh Kanwar" <secy-hedu-hp@nic.in>, secretaryedn@gmail.com, "Dr Sanjay Goyal" <secy.sed@mp.gov.in>, trsingh13@yahoo.co.in, dwahlang@yahoo.com, secretarysedmiz@gmail.com, osdplanning@gmail.com, "Secretary Transport, Puducherry" <secytran.pon@nic.in>, pseducation2013@yahoo.com, gpupadhyaya@gmail.com, schsec@tn.gov.in, "Dr Arun T IAS" <secy-edu-dd@nic.in>, pssed2020@gmail.com, ladakhdivcom@gmail.com, wbsed@gmail.com, sieandaman@gmail.com, "scert cse1" <scert.cse1@apschooledu.in>, scertarunachal@gmail.com, director@scertassam.in, directorscertbihar@gmail.com, "Surender Singh Dahiya" <scert-chd@nic.in>, scertcg@gmail.com, dir12scert@gmail.com, "Director SCERT Goa" <dir-scert.goa@nic.in>, director-gcert@gujarat.gov.in, dirscltr@gmail.com, spdssahp@gmail.com, psmanhas@hotmail.com, jepcranchi@gmail.com, "dpi dsert" <dpi.dsert@gmail.com>, "Director SCERT" <director.scert@kerala.gov.in>, dscladakh1@gmail.com, mpscert@yahoo.com, "te mpscert" <te_mpscert@yahoo.com>, director@maa.ac.in, manipurscert@gmail.com, "dert megh1" <dert.megh1@gmail.com>, "zohmingi.ralte2" <zohmingi.ralte2@gmail.com>, scertnagalandkohima@gmail.com, tescertodisha@gmail.com, directorscert@punjabeducation.gov.in, nirmalasharma000@gmail.com, "rabin k chhetri" <rabin.k.chhetri@gmail.com>, tnsert@gmail.com, "G Ramesh, Director" <director.scert-ts@nic.in>, directorscerttripura@gmail.com, dscertup@gmail.com, "dirart edu" <dirart.edu@gmail.com>, director@scertwb.org, sksinha@gmail.com, test123@gmail.com, ashwanidwived94@gmail.com, "Rahul Singh" <chmn-cbse@nic.in>, "kvs commissioner" <kvs.commissioner@gmail.com>, "Vinayak Garg" <commissioner.nvs@gov.in>, cm@nios.ac.in
Cc: "SREEKALA" <sp.venugopal@nic.in>, "Hema Malini S K Deepak" <hmsk.deepak@nic.in>, "NAVNEETSHARMA NAVNEETSHARMA" <navneetsharma.edu@gov.in>, "Pooja" <malikpooja.edu@nic.in>, "Dr. Mukesh Sharma" <mukesh@dcmsme.gov.in>

Sent: Friday, October 18, 2024 3:54:41 PM

Subject: Minutes of the 7th Apex Committee Meeting of Narco - Coordination Center (NCORD) - reg.

Respected Sir/ Ma'am,

Kindly find the attached OM No. 6-36/2023-SS dated 18.10.204 on the subject cited above for necessary action.

With regards

(Gaurav Sharma)
Consultant
Secondary Scholarship Section
Ph: 011-23383363

O/o Secretary to Govt of Punjab,
Department of School Education, Higher Education and Languages

O/o DGSE CUM SPD
Sarva Shiksha Abhiyan Authority (Po.)
Central Diary
No. 3622352 21/10/24

Scanned with OKEN Scanner

2 attachments

 mom 18.07.2024 (1).pdf
4190K

 NCORD.pdf
480K

DGSE Punjab <dgse@punjabeducation.gov.in>
To: directorscert@punjabeducation.gov.in

Fri, Oct 18, 2024 at 4:26 PM

[Quoted text hidden]

2 attachments

 mom 18.07.2024 (1).pdf
4190K

 NCORD.pdf
480K

F. No. 6-36/2023-S5
Government of India
Ministry of Education
Department of School Education and Literacy
(Secondary Scholarship Division)

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated 18.10.2024

To,

1. The Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary
School Education of all States/UTs
2. Chairman, Central Board of Secondary Education (CBSE)
Shiksha Kendra, 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi -
110092
3. The Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan 18,
Institutional Area Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi - 110
016
4. The Commissioner, Navodaya Vidyalaya Samiti, B-15,
Institutional Area, Sector 62, Noida, Uttar Pradesh 201307
5. The Chairperson, National Institute of Open Schooling, A-
24/25, Institutional Area, Sector - 62, NOIDA
6. The Director, SCERT of all States & UTs

**Subject: Minutes of the 7th Apex Committee Meeting of
Narco - Coordination Center (NCORD) - reg.**

Sir/Madam,

The undersigned is directed to refer to minutes of the 7th meeting of the Apex level NCORD Committee held on 18.07.2024 under the Chairmanship of Hon'ble Union Home Minister (copy enclosed) on the subject cited above.

2. In this regard, action taken is required on the point no. 6.1.9 of the minutes of the meeting i.e., "under the drug-free India campaign, eminent personalities and social organizations should also be involved and a campaign should be run once a week to create awareness ..." You are therefore, requested to undertake the above mentioned activities in the institutions under your purview. The activities conducted under the above campaign may

Time taken
18.10.2024

be shared by the Nodal Officer of States / UTs (who have been assigned with the task of NMBA) with the undersigned at hmsk.deepak@nic.in.

Encl: as above

Hema Malini
18.10.2024

(Hema Malini S.K. Deepak)
Under Secretary to the Government of India
Email: hmsk.deepak@nic.in

Copy for Information to: Dr. Mukesh Sharma, Deputy Director (UT),
DoSEL, MoE w.r.t his email vide FNo.12-11/2024-UT dated
14.10.2024.

मसीदा कार्यवृत्त

7वीं अपेक्स एनसीओआरडी समिति की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 18.07.2024; विज्ञानभवन, नई दिल्ली

माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में दिनांक 18.07.2024 को एनसीओआरडी समिति की 7वीं अपेक्स स्तरीय बैठक हाइब्रिड मोड में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। आयोजित बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक-ए के रूप में संलग्न है।

2. केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भट्टा ने ड्रग गगनून प्रवर्तन एजेंसियों (OLEAs) के बीच समन्वय में सुधार के लिए 4-स्तरीय एनसीओआरडी तंत्र की स्थापना और सुदृढीकरण पर प्रकाश डाला। उन्होंने देश में बढ़ते ड्रग परिदृश्य के कारण चुनौतियों पर चर्चा की, जिसमें ओपियॉड की खपत में वृद्धि, हेरोइन और मेथामफेटामाइन की तस्करी, समुद्री मार्ग से ड्रग तस्करी, कच्ची अफीम और गांजा और सिंथेटिक ड्रग्स का उत्पादन चिंता का विषय है। उन्होंने आगे बताया कि इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए गृह मंत्रालय ने एनसीओआरडी तंत्र में आवश्यक बदलाव किए हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा ड्रग्स से संबंधित चुनौतियों की प्रभावी निगरानी के लिए राज्य एंटी नारकोटिक्स टास्क फॉर्स (एएनटीएफ), इकाइयों की स्थापना के लिए तीसरी शीर्ष स्तरीय एनसीओआरडी बैठक में दिए गए निर्देशों का उल्लेख करते हुए, केंद्रीय गृह सचिव ने अलग-अलग एएनटीएफ इकाइयों स्थापित करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सराहना की। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा इन बैठकों के आयोजन में तेजी लाने के अनुरोध के बाद राज्य और जिला स्तर पर एनसीओआरडी बैठकों की संख्या में आवधिकता और भागीदारी के स्तर में काफी वृद्धि देखी गई है।

3. श्री सत्य नारायण प्रधान, महानिदेशक, एनसीबी ने एक प्रस्तुति दी (प्रस्तुति की प्रति अनुलग्नक-बी में संलग्न है) जिसमें 7^{वां} शीर्ष स्तरीय एनसीओआरडी बैठक के लिए निर्धारित एजेंडा बिंदुओं और आगे की चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया।

4. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव ने एक प्रस्तुति दी (प्रस्तुति की प्रति अनुलग्नक-सी में संलग्न है) जिसमें नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) के तहत नशा मुक्ति केंद्रों में वृद्धि, युवा स्वयंसेवकों का सृजन, आध्यात्मिक संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ जागरूकता पहल एवं केन्द्रित भागीदारी जैसी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया।

5. प्रस्तुतियों के बाद, केंद्रीय गृह सचिव ने सदस्यों और विशेष आमंत्रितों से बैठक के एजेंडे पर अपने बहुमूल्य सुझाव देने का आह्वान किया।

5.1 श्री तपन ठेका, निदेशक, इंटेसिजेंस व्यूरो ने अंतर-एजेंसी समन्वय में सुधार, राष्ट्रीय नारकोटिक्स रजिस्ट्री के निर्माण और म्यांमार से ड्रग्स के बढ़ते खतरे से निपटने का सुझाव दिया। इस बारे में विस्तार से



बताते हुए उन्होंने बताया कि देश में युग परिवर्तन पारस्परिक युग में हटकर हेरोइन और मेथमफेटामाइन के उपयोग में बदल गया है। म्यांमार में कानून लागू करने के लिए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि हाल के वर्षों में पूर्वोत्तर में तस्करी के समान और तीव्रता जितना वन विध्वंस करने हुए हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि एनसीसी और आईपी की आतंकवाद निरोधी अभियानों की तर्ज पर दुग निरोधी अभियान शुरू करना चाहिए। साथ ही पंजाब में समय जल्दी की महान जांच की आवश्यकता है जिसके लिए अंतर एनसीसी समन्वय की आवश्यकता है जो सांठगांठ, नेटवर्क और अंतिम लागूकर्तों की जांच करने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने परभाव दिया कि माली में एक बार आयोजित होने वाली मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAAC) बैठकों में विशेष रूप से वित्तीय जांच एवं प्रमुख मामलों की इन्वेस्टीगेशन टीम के महान अभियान के लिए एक मंच बनाया जाना चाहिए। जहां वित्तीय हस्तांतरण चैनल विदेशों में स्थित पाए जाते हैं उस स्थिति में संचालन रोक दिया जाता है ऐसी परिस्थिति के लिए एक समाधान खोजने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एनटीपीएस मामलों में अभियोजन के बाद अभियुक्तों के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स रजिस्ट्री के निर्माण की आवश्यकता है।

5.2 श्री रवि सिन्हा, सचिव (R&AW) ने अफगानिस्तान और म्यांमार में हेरोइन से मेथमफेटामाइन उत्पादन की ओर हो रहे बदलाव तथा समुद्र और पड़ोसी देशों के माध्यम से नशीली दवाओं की तस्करी के मार्गों की ओर ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि जब तक की गई अचिकित्सा हेरोइन मालदीव, श्रीलंका और अन्य देशों के निकटवर्ती क्षेत्रों से भी।

5.2.1 उन्होंने बताया कि म्यांमार में स्थिति खराब हो गई है। अफगानिस्तान में हेरोइन का उत्पादन कम हुआ है, जबकि म्यांमार में हेरोइन उत्पादन में 30% की वृद्धि हुई है। म्यांमार से साझा सीमा को देखते हुए, ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों को म्यांमार की ओर से आने वाली दवाओं के बढ़ते खतरे का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान और ईरान से संवाहित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट अब हेराइन से मेथमफेटामाइन की ओर शिफ्ट होते दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी अफ्रीका में ड्रग भूवर्णन के कारण स्थिति खराब हो गई थी जो अब सोमालिया और मोजाम्बिक में शिफ्ट हो गई है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पसनी, जिवानी, कराची, म्यादर तट के इलाके ड्रग्स की आपूर्ति के लिहाज से काफी संवेदनशील हो गए हैं। म्यांमार से बांग्लादेश में भारी मात्रा में याबा (Yaba) टैबलेट की तस्करी देखी गई है और इसमें भारत का इस्तेमाल एक माध्यम के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केबिनेट सचिवालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विदेश में रहने वाले आरोपियों को वापस भेजने में मदद करने के लिए तैयार है, यदि उनका विवरण साझा किया जाए।

5.3 राजस्व सचिव श्री संजय मल्होत्रा ने नशीली दवाओं की जक्ती में वृद्धि और नए मनो-सक्रिय पदार्थों के खिलाफ सतर्कता की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि पिछले वर्ष 750 मामलों दर्ज किए गए जबकि उससे पिछले वर्ष 650 मामलों और उससे पिछले वर्ष 400 मामलों दर्ज किए गए थे। इसी प्रकार गिरफ्तारियों में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग ने विभिन्न राज्यों में अपनी निगरक इकाइयों को सख्त सतर्कता बनाए रखने और अवैध दवा उत्पादन गतिविधियों/गुप्त प्रयोगशालाओं का

भंडाफोड़ करने के प्रयास करने का निर्देश दिया है। उन्होंने उल्लेख किया कि हाल के वर्षों में काले बाजार में नए मनो संश्लेषण पदार्थों (NPS) एक निरंतर धुनीती बना हुआ है।

5.4 भारतीय तटरक्षक महानिदेशक ने बताया कि एजेंसी ने नौसेना और एनसीबी के साथ बेहतर समन्वय के साथ पिछले कुछ वर्षों में कई ड्रग मामले दर्ज किए हैं। 15 मई को, गुजरात मरीन पुलिस और एनसीबी के कई अधिकारियों को पोरबंदर में तटरक्षक द्वारा प्रशिक्षित किया गया। भारतीय तटरक्षक अधिकारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण के लिए CAPT, भोपाल भेजा जा रहा है। मछली पकड़ने वाली नौकाओं को भी दिन-प्रतिदिन तटरक्षक निरीक्षण के दायरे में लाया गया है। भारतीय तटरक्षक महानिदेशक ने भारतीय तटरक्षा की उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों, केंद्र और राज्य के बीच डेटा के पारस्परिक आदान-प्रदान का आह्वान किया।

5.5 असम के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अनुरोध किया कि समग्र दक्षता बढ़ाने के लिए एनसीबी द्वारा वित्तीय जांच फॉरेंसिक अकाउंटिंग किटो करेसी, डार्कनेट आदि पर आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए।

5.6 आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव ने आंध्र प्रदेश में स्थानीय गांजा उत्पादन और वैकल्पिक खेती-विकास के कार्यक्रमों की दिशा में राज्य में किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया। राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ सख्त पुलिस गतिविधि और निगरानी कार्यरत है और इस उद्देश्य के लिए विशेष कार्य बल का पुनर्गठन चल रहा है। राज्य अधिक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है।

5.7 गुजरात के डीजीपी ने कहा कि तटीय राज्य होने के कारण गुजरात को समुद्री मार्ग से मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए अंतर-एजेंसी समन्वय पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके लिए राज्य का मत्स्य विभाग एक महत्वपूर्ण हितधारक है। गुजरात में 30,000 पंजीकृत मछली पकड़ने वाली नावें हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि तटीय सुरक्षा और समुद्री मार्गों से मादक पदार्थों की तस्करी पर एक एसओपी राज्य मत्स्य विभाग के लिए फायदेमंद साबित होगी।

5.7.1 इसके अलावा, गुजरात सरकार ने केस पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक पुरस्कार नीति तैयार की है। पिछले 6-8 महीनों में कूरिपर मामले देखे गए हैं जिसमें कूरिपर पार्सल से हाइड्रिड गांजा दामाद किया गया था और यह गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसे व्यक्तियों को हिरासत में लेने और निर्वासित करने के लिए एसओपी समय की मांग है।

5.8 श्री अनुराग वर्मा, मुख्य सचिव, पंजाब ने सुझाव दिया कि राजस्व विभाग द्वारा विकसित जीएसटीएन नेटवर्क को एनसीबी और राज्य पुलिस के साथ साझा किया जाना चाहिए क्योंकि यह निश्चित रूप से उन नशीली दवाओं पर नज़र रखने के लिए फायदेमंद साबित होगा जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि प्रभावी ट्रेकिंग के लिए habit forming drugs पर क्यूआर कोड विपणन जाने चाहिए। उन्होंने बताया कि हालांकि पंजाब में नशा मुक्ति उपचार के लिए 9 लाख से अधिक

रोगियों को प्रत्येकृत किया गया है। लेकिन परामर्श सेवाओं के लिए राज्य में केवल 150 मनोचिकित्सक उपलब्ध हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन इस अवकाश को गुंथारने के लिए दृढ़ संकल्प है।

6. माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने अपने संबोधन में नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ मिशन मोड पर काम करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि नशीली दवाओं के खिलाफ प्रभावी लड़ाई अभी शुरू ही हुई है और हर नागरिक को इसमें शामिल होने की आवश्यकता पर बत दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय एक समग्र दृष्टिकोण में विश्वास रखता है, जहाँ सभी विभागों और अधिकारियों को अपनी अपनी रणनीतियों के माध्यम से योगदान देना चाहिए।

6.1.1 माननीय गृह मंत्री महोदय ने अग्रगत कराया कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता की शताब्दी तक भारत को हर क्षेत्र में विश्व में प्रथम स्थान दिलाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए भारत सरकार ने 140 करोड़ लोगों को अमृत महोत्सव का एक बहुत बड़ा अभियान चलाने का संकल्प दिलाया है। हालांकि यह लक्ष्य तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक युवाओं को नशे के खतरे से मुक्त नहीं किया जाता। उन्होंने नशे के खिलाफ लड़ाई के महत्व पर जोर दिया और सभी हितधारकों से एक साथ मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी हितधारकों को सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नशीली दवाओं की आपूर्ति, दुरुपयोग और उठाए गए/उठाए जाने वाले उपायों की समीक्षा और रिपोर्टिंग के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार विशिष्ट समय (specific time) समर्पित करना चाहिए।

6.1.2 उन्होंने संरचनात्मक, संस्थागत और सूचनात्मक सुधारों सहित पिछले पांच वर्षों में गृह मंत्रालय के प्रयासों का विस्तृत विवरण दिया और सरकार के समग्र दृष्टिकोण (Whole of Government Approach) के माध्यम से जागरूकता सृजन की प्रशंसा की। नशीली दवाओं की तस्करी के नेटवर्क से निपटने के लिए व्यापक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हुए महत्वपूर्ण नशीली दवाओं की तस्करी, जख्ती और नेटवर्क के भंडाखोड़ पर जोर डाला गया। उन्होंने पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए एनडीपीएस मामले की जांच में Top to Bottom and Bottom to Top Approach की आवश्यकता पर जोर दिया। इस संबंध में, राज्यों को गंभीर प्रकृति के मामलों या बड़ी मात्रा/प्रक्रिया वाले मामलों को ईडी/एनसीबी को सौंपना चाहिए। सिंपटिक दवाओं की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए, गुप्त प्रयोगशालाओं की पहचान करने और उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया जाना चाहिए। क्षमता निर्माण के लिए अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। समुद्री मार्ग से नशीली दवाओं की तस्करी को एक प्रमुख मुद्दे के रूप में पहचाना गया जिसमें नशीली दवाओं की तस्करी को देश के तटों से देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता पर बत दिया गया। तटीय राज्यों से उनकी जांच प्रक्रियाओं की नियमित समीक्षा करने का आग्रह किया गया। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी इस क्षेत्र में, एनसीबी की सफल प्रक्रियाओं का अनुसरण करेंगे और एनसीबी द्वारा प्रदान की

गई जानकारी का उपयोग करेंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि एनसीवी को इस बढ़ते खतरों से निपटने के लिए खासकर इस विषय पर राष्ट्रव्यापी क्षमता निर्माणकी दिशा में अन्य देशों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साझेदारी जारी रखनी चाहिए।

(कार्रवाई : सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश : एनसीवी)

6.1.3 उन्होंने एनसीओआरडी तंत्र के महत्व को दोहराया है, साथ ही परिणाम-आधारित और परिणाम-उन्मुख बैठकों का आह्वान किया गया। जिला प्रशासन को डिलीवर करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने और उनकी नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया गया। एनसीओआरडी और निदान पोर्टल को लॉन्गटर्म बनाया जाना है, जिसमें ड्रग कानून प्रवर्तन संगठनों (DLEOs) की पहुंच और उपयोग की समीक्षा की जानी चाहिए।

(कार्रवाई : सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश : एनसीवी)

6.1.4 उन्होंने ड्रग कानून प्रवर्तन में 'जानने की आवश्यकता (Need to Know)' की अवधारणा के स्थान पर 'साझा करने का कर्तव्य (duty to share)' दृष्टिकोण पर जोर दिया। ड्रग आपूर्ति श्रृंखलाओं को तोड़ने के लिए एक कठोर और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया गया, साथ ही Drug Harm Reduction के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का भी आग्रह किया गया।

(कार्रवाई : सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश : एनसीवी)

✓ 6.1.5 मानस पोर्टल के शुभारंभ पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने इसे अन्य संबंधित एजेंसियों के पोर्टलों के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया। CAPT, भोपाल में नारकोटिक्स नियंत्रण के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने और 'मिशन स्पंदन' शुरू करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने सलाह दी कि सभी संबंधित विभागों द्वारा मानस पोर्टल को शुरू करने और बढ़ावा देने के लिए परिपत्र जारी करना चाहिए।

(कार्रवाई : सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश : एनसीवी/गृह मंत्रालय, वीपीआरएंडडी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय)

6.1.6 एनडीपीएस मामलों में वित्तीय जांच पर जोर दिया गया और एसी जांच के लिए समर्पित यूनिट्स की स्थापना के साथ-साथ क्लिप डार्कनेट और क्रियर/पारल जांच के लिए भी समर्पित यूनिट्स की स्थापना पर भी जोर दिया।

(कार्रवाई : सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश : एनसीवी)

6.1.7 मसौदा पदार्थों की तस्करी में प्रचाली दृष्टि से निपटने के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर जोर दिया गया जिसमें नशीली दवाओं में एक "डेटा मॉनिटर" और एक "नारकोटिक्स रिसर्च एंड रेटेडिज एनालिसिस विंग" का निर्माण शामिल है।

(कार्रवाई एनसीवी)

6.1.8 नशा मुक्त भारत अभियान के विस्तार की प्रथमा की गई जिसमें जन जागरूकता, एंटी-ड्रग एज्युकेशन शोध और नशा करने वालों के प्रभावी पुनर्वास पर जोर दिया गया। उन्होंने इच्छा जताई कि नशा मुक्ति के मुद्दे पर सभी हितधारकों को "नशा करने वालों के परिवार" को एक इकाई की तरह मानने की आवश्यकता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग की निवारण और संकथाम के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों और प्रवेश कोचिंग केंद्रों का व्यापक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पोरबंदों में नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने के लिए सभी शिक्षा परिसरों को नियमित रूप से sanitize किया जाना चाहिए। इस संबंध में माननीय गृह मंत्री महोदय द्वारा भी माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री महोदय को पत्र लिखा जायेगा।

6.1.9 नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत प्रतिष्ठित सामाजिक व्यक्तियों, सामाजिक संगठनों की भी जोड़ते हुए सप्ताह में एक दिन नशा मुक्त अभियान के प्रति जागरूकता हेतु अभियान चलाया जाना चाहिए।

(कार्रवाई: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय/एनसीवी, शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)

6.2 माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी स्तरों पर नशीली दवाओं के खिलाफ आंदोलन की गति, सटीकता और कवरेज में सुधार करने की आवश्यकता पर बल देने हुए कहा कि इसे प्रत्येक एंजेंसी और पुलिस स्टेशन का एजेंडा बनाया जाना चाहिए। सभी पुलिस थानों को नशीली दवाओं से संबंधित मामलों की गंभीरता से समीक्षा करने का सुझाव दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वतनन और भविष्य की पीढ़ियों का बचाने एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने एनसीवी तथा इस लड़ाई से जुड़े हुए केंद्र तथा राज्य सरकार की सभी एजेंसियों, विभागों तथा मंत्रालयों के प्रयासों की सराहना की और ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई को 'जन-आंदोलन' बनाने का आह्वान किया ताकि नशा मुक्त भारत (Drug Free India) के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

7 बैठक नशीली दवाओं की समस्या से निपटने की प्रतिबद्धता तथा सभी हितधारकों के बीच निरंतर समन्वय और सहकारिता की आवश्यकता पर जोर देने के साथ संपन्न हुई।

.....

NCB - Narcotics Control Bureau.